जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0/सा0प्र0/5199/2023 दिनांकः 19 जुलाई, 2023

सेवा में,

01. निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर।
02. प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः–सत्र 2023–24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांकः 17 जुलाई, 2023 से दिनांकः 31 जुलाई, 2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक **उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, 619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ के पत्र संख्याः 905/रा0उ0शि0प0/5/19 T.C., दिनांकः 18 जुलाई, 2023** सह संलग्न– **उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्याः 1915/सत्तर–3–2023, दिनांकः 17 जुलाई, 2023 (संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा 'उ0प्र0 राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की' दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 को सम्पन्न बैठक में सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाये जाने के निर्देशानुक्रम में सत्र 2023–24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांकः 17 जुलाई, 2023 से दिनांकः 31 जुलाई, 2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रमानुसार मनाये जाने की अपेक्षा की गयी है।**

तत्क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र में वर्णित उच्च शिक्षा विभाग हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा के आधार पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता हेतु **दिनांकः 17 जुलाई, 2023 से दिनांकः 21 जुलाई, 2023 तक प्रस्तावित सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के कार्यक्रमों (संलग्न पत्र सूची के अनुसार) को सफल बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।**

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एस०एल० पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. माननीय कुलपति जी।
2. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

E-mail : upshec@gmail.com,
Website : www.uphed.gov.in/council

Phone : 0522-2287025
0522-4306795

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

पत्रांक 905 / रा0उ0शि0प0 / 53/19 T.C.
दिनांक : 18-07– 2023

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषय : वर्ष 2023–24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1915 / सत्तर–3–2022–08(14) / 2018, दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं संलग्न पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1822 / तीस–3–2023, दिनांक 03.07.2023 की प्रति संलग्न करते हुये अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा "उ0प्र0 राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" की दिनांक 09.10.2020 को सम्पन्न बैठक में सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– उक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न उक्त कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा के आधार पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता हेतु दिनांक 17–07–2023 से 31–07–2023 तक प्रस्तावित सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3– उल्लेखनीय है कि पूर्व में शासनादेश संख्या–43 / सत्तर–3–2023, दिनांक 05.01.2023 के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु व्यापक दिशा–निर्देश दिये गये हैं, जो निम्नवत् है :–

1. **शिक्षकों का प्रशिक्षण**

   अभियान के अन्तर्गत यथसंभव प्रत्येक दिवस को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद स्तरीय यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

2. **एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / रोवर रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार–प्रसार**

   (1) प्रत्येक दिवस को एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / रोवर रेन्जर्स द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिये चौराहों पर प्रचार–प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा संवेदीकरण अभियान चलाया जायेगा।

   (2) अभियान के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एन.सी.सी. / एन.एस.एस.रोवर रेन्जर्स द्वारा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।

3. **सेमिनार / गोष्ठी**

   प्रत्येक दिवस को आयोजित जनपद स्तरीय गोष्ठी के क्रम में कार्यक्रम के पश्चात प्रत्येक संस्थान में सड़क सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी / सेमिनार आयोजित की जायेगी, जिसमें उक्तानुसार प्रशिक्षित प्राचार्यों / शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी / सेमिनार में यथासम्भव यातायात पुलिस / परिवहन

विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

4. **रोड सेफ्टी क्लब का गठन**
   प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाय, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।
5. **जागरूकता कार्यक्रम**
   अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, क्विज, निबन्ध, पोस्टर पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी।
6. **सड़क सुरक्षा शपथ**
   सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रमों एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 03.07.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आयोजित सभी कार्यक्रमों में यथासम्भव अभिभावकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय। सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित हैण्ड बिल, सूचना विभाग द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनका छात्र/छात्राओं के मध्य वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त एवं संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये इसकी अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप पर **दिनांक 01—08—2023** तक उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन की ई—मेल आई.डी. hesection.3@gmail.com पर हार्ड कापी प्रेषित करते हुये उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ई—मेल आई0डी0—upshec@gmail.com पर साफ्टकॉपी Kruti dev 010 Font, M.S. Word में एवं हार्डकॉपी PDF File में प्रेषित कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जिससे संकलित सूचना शासन को यथानिर्धारित समय पर प्रेषित की जा सके। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय।

संलग्नक : शासन के पत्र एवं प्रारूप

भवदीय

डॉ0(दिनेश कुमार)
अपर सचिव

पत्रांक : —— /रा0उ0शि0प0/___/ ___तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

डॉ0(दिनेश कुमार)
अपर सचिव

वर्ष 2023–24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा अपेक्षित आख्या उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप :–

विश्वविद्यालय का नाम :–

क्र.सं.	शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश	संक्षिप्त अनुपालन आख्या
1.	**शिक्षकों का प्रशिक्षण** अभियान के अन्तर्गत यथासंभव प्रत्येक दिवस को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद स्तरीय यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।	
2.	**एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / रोवर रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार–प्रसार** (1) प्रत्येक दिवस को एन.सी.सी. /एन.एस.एस./ रोवर रेन्जर्स द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिये चौराहों पर प्रचार–प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा संवेदीकरण अभियान चलाया जायेगा।	
	(2) अभियान के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एन.सी.सी./एन.एस.एस.रोवर रेन्जर्स द्वारा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।	
3.	**सेमिनार / गोष्ठी** प्रत्येक दिवस को आयोजित जनपद स्तरीय गोष्ठी के क्रम में कार्यक्रम के पश्चात प्रत्येक संस्थान में सड़क सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी / सेमिनार आयोजित की जायेगी, जिसमें	

	उक्तानुसार प्रशिक्षित प्राचार्यों / शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी / सेमिनार में यथासम्भव यातायात पुलिस / परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।	
4.	**रोड सेफ्टी क्लब का गठन** प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाय, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।	
5.	**जागरूकता कार्यक्रम** अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, क्विज, निबन्ध, पोस्टर पेन्टिंग, स्लोग्न राइटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी।	
6.	**सड़क सुरक्षा शपथ** सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।	

कुलसचिव
हस्ताक्षर दिनांक, मुहर सहित

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–1915/सत्तर–3–2023–08(14)/2018

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 **निदेशक,**
उच्च शिक्षा उ0प्र0,
प्रयागराज।

2 **कुल सचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

3 **विशेष कार्याधिकारी,**
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉक 17 जुलाई, 2023**

विषयः–वर्ष 2023–24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1822/तीस–3–2023, दिनांक 03.07.2023 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा "उ0प्र0 राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की" दिनांक 09.10.2020 को सम्पन्न बैठक में सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक के साथ संलग्न उक्त कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा के आधार पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता हेतु दिनांक 17.07.2023 से 21.07.2023 तक प्रस्तावित सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3– उल्लेखनीय है कि पूर्व में शासनादेश संख्या–43/सत्तर–3–2023, दिनांक 05.01.2023 के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु व्यापक दिशा–निर्देश दिये गये है, जो निम्नवत् हैः–

1. शिक्षकों का प्रशिक्षण

अभियान के अन्तर्गत यथासंभव प्रत्येक दिवस को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद स्तरीय यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

1. एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार–प्रसार

(1) प्रत्येक दिवस को एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिए चौराहों पर प्रचार प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा संवेदीकरण अभियान चलाया जायेगा।

(2) अभियान के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एन.सी.सी./एन.एस.एस./ रोवर रेन्जर्स द्वारा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।

3. सेमिनार/गोष्ठी

प्रत्येक दिवस को आयोजित जनपद स्तरीय गोष्ठी के क्रम में कार्यक्रम के पश्चात प्रत्येक संस्थान में सड़क सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जायेगी, जिसमें उक्तानुसार प्रशिक्षित प्राचार्यो/शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी/सेमिनार में यथासम्भव यातायात पुलिस/परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

4. रोड सेफ्टी क्लब का गठन

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाय, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।

5. जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, क्विज, निबन्ध, पोस्टर पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगिताये आयोजित की जायेगी।

6. सड़क सुरक्षा शपथ

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।

4— अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यकमों एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 03.07.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आयोजित सभी कार्यकमों में यथासम्भव अभिभावकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय। सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित हैण्ड बिल सूचना विभाग द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनका छात्र/छात्राओं के मध्य वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये, इसकी अनुपालन आख्या दिनांक 02.08.2023 तक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के ई–मेल आई0डी0–hesection.3@gmail.com पर हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

2– निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

3– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।

4– अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग उ०प्र० शासन।

5– प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उ०प्र० शासन।

6– निदेशक सूचना, उ०प्र० ।

7– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

8– समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

9– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र० ।

10– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त (प्रारूप) की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

प्रमुख सचिव कार्यालय में
प्राप्त दिनांक 06/07/2023

संख्या 598 /VIPPSHED/2023

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-1822/तीस-3-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2 समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4 पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/गाजियाबाद /प्रयागराज ।
5 समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 03 जुलाई, 2023

विषय : वर्ष 2023-24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 17-07-2023 से 31-07-2023 तक मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

पी०एस० (G) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा **'उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद'** की दिनांक 09-10-2020 को सम्पन्न बैठक में सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

06/07/23
(एम० पी० अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

2. उल्लेखनीय है कि माह जनवरी, 2023 से मई, 2023 तक के सड़क दुर्घटना एवं मृतकों की संख्या में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम होने के स्थान पर सड़क दुर्घटना में 5.5 प्रतिशत तथा दुर्घटना में मृतकों की संख्या में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या में सर्वाधिक मृत्यु दोपहिया वाहन चालकों की होती है।

3184/US(E)/23
US(A)

3. मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुक्रम में जनमानस में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाये जाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा से जुडे समस्त विभागों- परिवहन विभाग, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग तथा शिक्षा विभाग की कार्ययोजना के आधार पर इस वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह के स्थान पर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन किया जाना नितांत आवश्यक है।

07-7-23
(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

503
07/07/23

श्री अमित
7-7-2023

3. उक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में **'सड़क सुरक्षा पखवाड़ा'** दिनांक 17-07-2023 से 31-07-2023 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु यथा आवश्यक संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवनिष्ठ,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 03-07-2023 12:42:22
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
11. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0परिवहन निगम, लखनऊ।
13. निदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।

सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 17.07.2023 से दिनांक 31.07.2023 तक) हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा

<table>
<tr><th>दिवस</th><th>परिवहन विभाग</th><th>परिवहन निगम</th><th>पुलिस विभाग</th><th>समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल- लो0 नि0 वि0)</th><th>शिक्षा विभाग</th><th>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग</th></tr>
<tr><td>प्रथम</td><td colspan="6">उद्घाटन समारोह का आयोजन परिवहन विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियो द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए आयोजित किया जाये, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के मा0 सांसद, मा0 विधायक को आमंत्रित किया जाये और सभी संबधित विभागों (समस्त निर्माण एजेंसी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाये तथा परिवहन से जुड़े बस/ट्रक/आटो यूनियन, एनजीओ के पदाधिकारी, परिवहन निगम के चालक/परिचालक आदि को बुलाया जाये। सड़क सुरक्षा संबधी प्रचार वाहन को मा0 जनप्रतिनिधि के द्वारा शुभारम्भ कराया जाये तथा कार्यक्रम के समापन में सड़क सुरक्षा की शपथ ग्रहण करायी जाये। समस्त विभागों की सहभागिता सुनिश्चित जाये।
● समस्त विभागों के कार्यालय परिसर में बिना हेल्मेट लगाये आने वाले समस्त कार्मिकों को सार्वजनिक रूप से सचेत करते हुए कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड का लगाया जाना एवं भविष्य में दो पहिया वाहन पर बिना हेल्मेट लगाये कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाए।
● पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रयोग करने वाले विभाग सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सड़क सुरक्षा का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे।
● सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों में प्रार्थना के उपरान्त छात्रों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दिया जाना तथा सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना।
● सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन नगर विकास विभाग द्वारा शहरों में समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु मार्गों पर स्ट्रीट लाइट के स्थापित होने एवं उसके क्रियाशीलता को सुनिश्चित किया जाना।
● सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत समस्त आई 0 टी0 एम 0 एस 0 वाले शहरों तथा एक्सप्रेस-वे पर स्थापित इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस के माध्यम से कैप्चर किये हुए उल्लंघन-कर्ताओं का शत-प्रतिशत चालान सुनिश्चित किया जाना।
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाये, जिसमें निर्धारित एजेण्डा के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के सफल आयोजन हेतु विचार-विमर्श करते हुए, बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन पखवाड़ा के अवशेष दिवसों में किया जाये तथा जनपदीय रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार कराके पखवाड़े के अंत में ए 0 आर 0 टी0 ओ 0 के माध्यम से परिवहन आयुक्त, उ 0 प्र 0 को प्रेषित किया जाए।</td></tr>
<tr><td>द्वितीय</td><td>सभी बस/ ट्रक/ ऑटो/ ई-रिक्शा तथा टैक्सी चालकों एवं उनके यूनियन के पदाधिकारियों के</td><td>परिवहन निगम के बस डिपो तथा बसों में स्वच्छता अभियान</td><td>ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, बस एवं टैक्सी चालकों के संगठन के माध्यम से उनकी बैठक बुलाकर</td><td>समस्त सड़क स्वामित्व वाले विभाग/ एजेंसी कार्यालय परिसर में समस्त अधिकारी/</td><td>उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में</td><td>IRAD मोबाइल एप के संबध में समस्त जनपद के एनआईसी में नियुक्त DISTRICT ROLL OUT</td></tr>
</table>

	साथ सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना। समस्त ऑटो, टैक्सी चालक यूनियन के पदाधिकारियों को चालक एवं उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रू0 5.00 लाख का बीमा प्रदान किये जाने हेतु जागरूक किया जाना तथा चालकों/आश्रितों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किया जाना।	चलाते हुए कार्यवाही किया जाना। परिवहन विभाग के कार्यक्रम में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना तथा जागरूकता कार्यक्रम में निगम के चालक, परिचालकों को शामिल कराना।	उन्हें यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया जाए।	कर्मचारी द्वारा सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करते हुए सड़क सुरक्षा शपथ कराया जाना तथा फोटो ग्राफ्स प्रेषित किया जाना।	छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के मध्य सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।	Manager के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को Handholding प्रशिक्षण देना तथा लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड करना।
तृतीय	दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), सीटबेल्ट, मोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरूद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना। समस्त व्यावसायिक वाहन चालकों एवं परिवहन निगम के बस चालकों को	निगम की बसों की फिटनेस की जांच कर कमियों को दूर करना तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत बसों में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार-प्रसार किया जाना।	दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), सीटबेल्ट, मोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरूद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।	वर्ष 2023 में चिन्हित नवीन ब्लैक स्पॉट का सत्यापन कर सड़क निर्माण एजेंसी/ विभाग का निर्धारण एवं सभी ब्लैक स्पॉट का विश्वकर्मा एप में अंकन का कार्य पूर्ण कराया जाये।	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित रोड सेफ्टी क्लबों के अंतर्गत सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराना, शिक्षण संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों का दो पहिया वाहन चालन के समय हेल्मेट का प्रयोग अनिवार्य	समस्त व्यावसायिक वाहन चालकों एवं परिवहन निगम के बस चालकों का स्वास्थ्य जॉच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य जॉच किया जाना।

	स्वास्थ्य जॉच कार्ड परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम द्वारा मुद्रण कराते हुए उपलब्ध कराया जाना।				करना। ऐसे जनपद जिनमें संचालित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन नहीं हुआ है, उनका गठन सड़क सुरक्षा पखवाड़े की अवधि के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाना।	
चतुर्थ	दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), सीटबेल्ट, मोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरूद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।	निगम की बसों की फिटनेस की जांच कर कमियों को दूर करना तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत बसों में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार-प्रसार किया जाना।	दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), सीटबेल्ट, मोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरूद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।	जनपद के समस्त अधिकारी कर्मचारी/ ठेकेदार का IRC-SP-55 के अनुसार वर्क जोन सेफ्टी के प्रावधानों के साथ-साथ रोड सेफ्टी के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण दिया जाना।	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता रैली का आयोजन किया जाना। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।	ट्रामा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सतत संजीवनी सेवा के क्रियान्वयन की दिशा में अग्रेतर कार्यवाही।
पंचम्	सेव लाइफ फाउण्डेशन के सहयोग से सभी 75 जनपदों में बस/ट्रक /टैम्पों/टैक्सी/ऑटो/ई-रिक्शा/ परिवहन निगम के चालकों को सेफ ड्राइविंग एवं फर्स्ट रेसपान्डर का प्रशिक्षण दिया जाना।		ड्रंकन ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जम्पिंग, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी चेकिंग के विरूद्ध अभियान।	वर्ष 2016, 2018, 2019 एवं वर्ष 2020 में चिन्हित अवशेष ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण तथा तात्कालिक सुधार वाले कार्यों को	मास्टर ट्रेनर द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा के छात्रों एवं उनके	ढाबा, टोल प्लाजा पर कार्य करने वाले लोगों एवं आस-पास रहने वाले अन्य स्वैच्छिक व्यक्तियों को सेव लाईफ फाउण्डेशन के माध्यम से फर्स्ट

				चिन्हित कर उन्हें पूर्ण कराया जाना। निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यस्थल पर वर्क जोन सेफ्टी के क्रियान्वयन का भौतिक सत्यापन किया जाना।	अभिभावकों के सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।	रिस्पॉडर ट्रेनिंग दिया जाना।
षष्ठम	**पूर्वाह्न-** परिवहन निगम के अधिकारियों के सहयोग से सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम का आयोजन जिसमें चालकों/परिचालकों एवं यात्रीगणों को जागरूक किया जाए तथा परिवहन निगम के चालकों हेतु बस स्टेशन पर ही हेल्थ कैंप का आयोजन कर चालकों/परिचालकों की सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र जॉच परीक्षण किया जाए। **अपराह्न-**अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरूद्ध चेकिंग अभियान।	परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तथा चालकों का स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन कराना।	अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरूद्ध चेकिंग अभियान में परिवहन विभाग का सहयोग करना। राजमार्गों पर सड़क के किनारे स्थित ढाबों व ट्रक चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। शहर के प्रमुख स्थलों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरूद्ध अभियान।	वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में चिन्हित अवशेष ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण तथा तात्कालिक सुधार वाले कार्यों को चिन्हित कर उन्हें पूर्ण कराया जाना।	मास्टर ट्रेनर के माध्यम से जनपद के बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति प्रशिक्षित किया जाना।	चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समस्त मेडिकल कॉलेज के सर्जरी एवं हड्डी रोग विभाग द्वारा मेडिकल एवं पैरामेडिकल छात्रों हेतु बेसिक लाइफ सर्पोट एवं एडवान्स बेसिक लाइफ सर्पोट से संबंधित एक संक्षिप्त कार्यशाला का आयोजन।
सप्तम्	**पूर्वाह्न-** ओवर लोडिंग/गलत नं0 प्लेट, बिना एचएसआरपी लगे	परिवहन निगम की बसों में रिट्रो-रिफ्लेक्टिव	स्वयं सेवी संस्थाओं अथवा किसी अन्य संस्थान/ कम्पनी से प्रयोजित कराकर	पूर्व में विभिन्न मार्गों पर स्थापित समस्त सड़क सुरक्षा साइन बोर्ड	सभी स्कूली बसों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र	परिवहन विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में अपेक्षित सहयोग किया जाना।

	वाहन, सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों एवं रेट्रोरिफलेक्टिव टेप की चेकिंग किया जाना तथा लेन ड्राइविंग के बारे में चालकों को जागरूक किया जाना। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाना। **अपराह्न-** टैम्पों/टैक्सी यूनियन एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ विचार गोष्ठी एवं स्कूली वाहनों के चालकों का स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण का आयोजन तथा सड़क सुरक्षा शपथ दिलाया जाना।	टेप, बैक लाइट, इंडीकेटर, हेडलाइट, पंजीयन नम्बर प्लेट, खिड़कियों में शीशे लगे होने की चेकिंग किया जाना तथा इनमें से मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उनका सुधार करना। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हेड लाइट के हाई बीम/ लो बीम के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाना।	निःशुल्क रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप को लगाने हेतु प्रेरित किया जाय एवं लगवाया जाए तथा सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों को हटाया जाए एवं चालकों को लेन ड्राइविंग के बारे में चालकों को जागरूक किया जाना। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाना।	तथा रोड मार्किंग का निरीक्षण किया जाना तथा क्षतिग्रस्त साइन बोर्ड/रोड मार्किंग को पुर्नस्थापित करने की कार्यवाही एवं समस्त साइन बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हेतु वृक्षों/झाड़ियों की छटाई किया जाना।	परीक्षण हेतु परिवहन विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भेजना।	
8 वॉ	प्रदूषण जांच केन्द्रों की चेकिंग व मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग। मॉडीफाइड साइलेन्सर/हूटर/ प्रेशर हॉर्न/शीशे पर	परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों की वर्दी में उपस्थिति कराकर उनके मध्य सड़क सुरक्षा से	वाहनों पर मॉडीफाइड साइलेन्सर/ हूटर/ सॉयरन/ प्रेशर हॉर्न एवं शीशों पर काली फिल्म का प्रयोग करने वालों के विरूद्ध चेकिंग	सकरी पुलिया को चिन्हित करते हुए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय यथा-बोर्ड लगाना, ट्रैफिक कॉमिंग मेजर्स तथा अन्य रोड सेफ्टी	माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में गठित रोड सेफ्टी क्लबों द्वारा छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया	108 एम्बुलेंस/ एन0एच0ए0आई0/ एक्सप्रेस वे की एम्बुलेंसेस के ई0एम0टी0 का प्रशिक्षण स्तर, कार्यशैली का निरीक्षण एवं

	काली फिल्म की चेकिंग।	संबंधित विषयों पर क्विज कम्पटीशन कराया जाना तथा परिवहन निगम के चालकों द्वारा उनके चालन के विशेष अनुभवों को साझा किया जाना। क्विज कम्पटीशन में विजेता क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाना।	अभियान।	प्रावधान को स्थापित किया जाना तथा पूर्व में किये गये प्राविधानों का समुचित रख-रखाव किया जाना।	जाना।	एम्बुलेंसेस द्वारा दी जा रही प्री-हास्पिटल केयर के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही।
9 वॉ	प्रदूषण जांच केन्द्रों की चेकिंग व मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग। मॉडीफाइड साइलेन्सर/हूटर/ प्रेशर हॉर्न की चेकिंग।	परिवहन निगम की बसों की प्रदूषण एवं अन्य जांच यथा-वाइपर, इंडिकेटर, बैक लाइट, हैडलाइट, खिड़की एवं दरवाजों में लगे हुए शीशे की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया जाना।	समस्त आई0टी0एम0ए0एस0 को यूपी0 112 से इंटीग्रेट किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना।	iRAD मोबाइल एप के संबध में समस्त जनपद के एन0आई0सी0 में नियुक्त DISTRICT ROLL OUT Manager के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लोक निर्माण विभाग सहित सभी सड़क निर्माण एजेंसी को प्रशिक्षण देना तथा लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड करना।	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित (एन0एस0एस0/, एन0सी0सी0/ रोवर्स रेंजर/ स्काउट गाइड) के विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम।	iRAD मोबाइल एप के संबध में समस्त जनपद के एन0आई0सी0 में नियुक्त DISTRICT ROLL OUT Manager के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा लम्बित सडक दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड किये जाने की समीक्षा।
10 वॉ	समस्त व्यावसायिक वाहन चालकों एवं परिवहन निगम के बस चालकों को स्वास्थ्य जॉच कार्ड परिवहन		सभी जनपदों में स्थापित ट्रैफिक सिग्नल तथा		उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के	सभी अस्पतालों (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

	विभाग एवं परिवहन निगम द्वारा मुद्रण कराते हुए उपलब्ध कराया जाना।		सी0 सी0 टी0 वी0 / ए 0 एन 0 पी0 आर 0 आदि कैमरे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, को सुनिश्चित किया जाना।		विद्यार्थियों के मध्य क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।	विभाग) में दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों (मरीज एवं तीमारदार) का नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन।
11 वॉ	ड्रंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना। स्कूली वाहनों की सड़क सुरक्षा के मानकों के अनुरूप चेकिंग किया जाना तथा ट्रैफिक जाम के विरूद्ध कार्यवाही।	परिवहन निगम के चालकों का ड्रंकन ड्राइविंग के विरूद्ध ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया जाना।	ड्रंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।	पूर्व में विभिन्न मार्गो पर स्थापित समस्त सड़क सुरक्षा साइन बोर्ड तथा रोड मार्किंग का निरीक्षण किया जाना तथा क्षतिग्रस्त साइन बोर्ड/रोड मार्किंग को पुर्नस्थापित करने की कार्यवाही एवं समस्त साइन बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हेतु वृक्षों/झाड़ियों की छटाई किया जाना।	बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाना। उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।	सभी अस्पतालों (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) में दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों (मरीज एवं तीमारदार) का नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन।
12 वॉ	ड्रंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।	परिवहन निगम के चालकों का ड्रंकन ड्राइविंग के विरूद्ध ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया जाना।	ड्रंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।	एक्सप्रेस-वे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित समस्त टोल प्लाजा पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से व्यवसायिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र जॉच किया जाना।	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।	समस्त व्यावसायिक वाहन चालकों एवं परिवहन निगम के बस चालकों का स्वास्थ्य जॉच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य जॉच किया जाना।
13 वॉ	ओवर लोडिंग, गलत नम्बर प्लेट	परिवहन निगम की बसों की	शहरों में आवासीय क्षेत्रों में संचालित	एक्सप्रेस-वे तथा	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के	

	लगे वाहनों, सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों एवं रेट्रोरिफलेक्टिव टेप की चेकिंग किया जाना तथा लेन ड्राइविंग का पालन न करने वाले वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही।	प्रदूषण एवं अन्य जांच यथा-वाइपर, इंडिकेटर, बैक लाइट, हैडलाइट, खिड़की एवं दरवाजों में लगे हुए शीशे की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया जाना।	मार्केट तथा बिना पार्किंग वाली मार्केट में सड़क के किसी एक किनारे को पार्किंग हेतु निर्धारण कर बोर्ड लगाया जाना।	राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित समस्त टोल प्लाजा पर लेन-ड्राइविंग तथा ओवरस्पीडिंग न करने हेतु चालकों को प्रशिक्षित किया जाना तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाना।	माध्यम से बेसिक/माध्यमिक/ उच्च शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जाना।	
14 वॉ	ओवर लोडिंग, गलत नम्बर प्लेट लगे वाहनों, सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों एवं रेट्रोरिफलेक्टिव टेप की चेकिंग किया जाना तथा लेन ड्राइविंग का पालन न करने वाले वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही।	परिवहन निगम के बस डिपो तथा बसों की स्वच्छता का भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय/सहा0 क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर से कराते हुए कार्यवाही किया जाना तथा कृत कार्यवाही को मुख्यालय प्रेषित किया जाना।	शहरों में आवासीय क्षेत्रों में संचालित मार्केट तथा बिना पार्किंग वाली मार्केट में सड़क के किसी एक किनारे को पार्किंग हेतु निर्धारण कर बोर्ड लगाया जाना। अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों/अवैध टैम्पो एवं टैक्सी स्टैण्ड के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना	समस्त अभियंत्रण विभाग द्वारा मार्गों के समस्त जक्शन/चौराहे पर ट्रैफिक कॉमिंग मेजर्स की स्थापना का भौतिक सत्यापन किया जाना तथा समस्त कमरतोड़ू स्पीड ब्रेकर को हटाते हुए आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त हो गये रम्बल स्ट्रिप, टेबल टॉप, रोड मार्किंग आदि ट्रैफिक कॉमिंग मेजर्स की पुर्नस्थापना किया जाना।	परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्कूली वाहनों के चालकों की नेत्र जॉच।	परिवहन विभाग के सहयोग से स्कूली वाहनों के चालकों की नेत्र जॉच।
15 वॉ	जनपद के मा0 जनप्रतिनिधि तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में बस,	परिवहन निगम के चालकों/परिचालकों की उपस्थिति में समापन	ट्रैफिक व्यवस्था हेतु इलेक्ट्रानिक उपकरणों का परीक्षण करते हुए उसकी जानकारी ट्रैफिक कर्मियों को दिया	वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में चिन्हित अवशेष ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण तथा तात्कालिक सुधार वाले कार्यो	समस्त दिवसों की सूचनाएं फोटोग्राफ सहित संकलित कर अपने-अपने संबंधित	ए0 आर0 टी0 ओ0, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अधिकृत

	ट्रक, ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों/एन0 जी0 ओ0 के माध्यम से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तथा कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन एन0 जी0 ओ0/ तीन व्यक्तियों /जनपद के गुड सेमेरिटन/रोड सेफ्टी क्लब के अतिरिक्त स्टेक होल्डर विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक/मास्टर ट्रेनर/ अभियन्ताओं को सम्मानित किया जाना। समस्त आरटीए के सचिव द्वारा ऑटो, टैक्सी चालक एवं उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रू0 5.00 लाख का बीमा प्रदान किये जाने हेतु चालकों/आश्रितों	कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले चालक/परिचालक/ सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाना।	जानो तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रैफिक पुलिस के 03 कर्मियों को सम्मानित किया जाना।	को चिन्हित कर उन्हें पूर्ण कराया जाना। लो0 नि0 वि0, एन.एच.ए.आई., उपशा, यूपीडा, यीडा एवं नगर विकास विभाग के मुख्यालय द्वारा समस्त दिवसों की सूचनाएं फोटोग्राफ सहित संकलित कर परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जाए।	मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के पश्चात परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा 108 एम्बुलेंसेस को टोल प्लाजा से हटा कर ब्लैक स्पॉट या वलनरेबल स्पॉट पर पुर्नस्थापना तथा एम्बुलेंस रिस्पांस टाइम कम किये जाने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही।

9

	की संकलित सूचना मुख्यालय प्रेषण का प्रमाण-पत्र प्रेषित करना।					

वर्ष 2023–24 में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–822/30–3–2023, दिनांक 03.07.2023 के साथ संलग्न कार्यक्रम की सूची

दिनांक 17.07.2023 से 31.07.2023 तक

कमांक	दिनांक/दिवस	बिन्दु
1	प्रथम	उद्घाटन समारोह का आयोजन परिवहन विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियो द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए आयोजित किया जाये, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के मा0 सांसद, मा0 विधायक को आमंत्रित किया जाये और सभी संबंधित विभागों (समस्त निर्माण एजेंसी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाये तथा परिवहन से जुड़े बस/ट्रक/आटो यूनियन, एनजीओ के पदाधिकारी, परिवहन निगम के चालक/परिचालक आदि को बुलाया जाये। सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार वाहन को मा0 जनप्रतिनिधि के द्वारा शुभारम्भ कराया जाये तथा कार्यक्रम के समापन में सड़क सुरक्षा की शपथ ग्रहण करायी जाये। समस्त विभागों की सहभागिता सुनिश्चित जाये। • समस्त विभागों के कार्यालय परिसर में बिना हेल्मेट लगाये आने वाले समस्त कार्मिकों को सार्वजनिक रूप से सचेत करते हुए कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड का लगाया जाना एवं भविष्य में दो पहिया वाहन पर बिना हेल्मेट लगाये कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाए। • पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रयोग करने वाले विभाग सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सड़क सुरक्षा का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगे। • सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों में प्रार्थना के उपरान्त छात्रों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दिया जाना तथा सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना। • सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन नगर विकास विभाग द्वारा शहरों में समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु मार्गों पर स्ट्रीट लाइट के स्थापित होने एवं उसके क्रियाशीलता को सुनिश्चित किया जाना। • सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत समस्त आई0 टी0 एम0 एस0 वाले शहरों तथा एक्सप्रेस–वे पर स्थापित इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस के माध्यम से कैप्चर किये हुए उल्लंघन कर्ताओं का शत–प्रतिशत चालान सुनिश्चित किया जाना। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाये, जिसमें निर्धारित एजेण्डा के अतिरिक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के सफल आयोजन हेतु विचार–विमर्श करते हुए, बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन पखवाड़ा के अवशेष दिवसों में किया जाये तथा जनपदीय रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार कराके पखवाड़े के अंत में ए0आर0टी0ओ0 के माध्यम से परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 को प्रेषित किया जाये।
2	द्वितीय	उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के माध्य सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन किया जाना। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।

3	तृतीय	उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित रोड सेफ्टी क्लबों के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराना, शिक्षण संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों का दो पहिया वाहन चालन के समय हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य करना। ऐसे जनपद जिसमें संचालित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन नहीं हुआ है उनका गठन सड़क सुरक्षा पखवाड़े की अवधि के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाना।
4	चतुर्थ	उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जागरूकता रैली का आयोजन किया जाना। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।
5	पंचम	मास्टर ट्रेनर द्वारा उच्च शिक्षा के छात्रों एवं उनके अभिभावकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।
6	षष्ठम	मास्टर ट्रेनर के माध्यम से उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति प्रशिक्षित किया जाना।
7	सप्तम्	सभी स्कूली बसों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण हेतु परिवहन विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भेजना।
8	आठवॉ	महाविद्यालयों में गठित रोड सेफ्टी क्लबों द्वारा छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।
9	नवॉ	उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित (एन0एस0एस0 / एन0सी0सी0 / रोवर्स रेंजर / स्काउट गाइड) के विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम।
10	दसवॉ	उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।
11	11वॉ	उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य भाषण एवं निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।
12	12वॉ	उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।
13	13वॉ	प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सल्टेंसी के माध्यम से उच्च शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जाना।
14	14वॉ	परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्कूली वाहनों के चालकों की नेत्र जॉच।
15	15वॉ	समस्त दिवसों की सूचनायें फोटोग्राफ सहित संकलित कर विभाग मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के पश्चात परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।